फर्द अहकाम

(नियम (26)

अज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... सिकराय ..दौसा.....

.....बाबूलाल..... बनाम ....राज. सरकार.....

किस्म मुकदमा .....136 LR Act..... मु० नं० ....17/2018.....

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/12/20	पत्रावली बहस हेतु पेश हुयी। वाद के तथ्यों व जवाब स्टेट पर गौर किया गया। वादी के दस्तावेजों में नाम बाबूलाल पुत्र चमेला जाति बैरवा दर्ज है जबकि ग्राम राणोली के खाता सं. 147 में कैरया पुत्र चमोल दर्ज है अतः ग्राम राणोली के खाता सं. 147 में कैरया पुत्र चमोल के स्थान पर कैरया उर्फ बाबूलाल पुत्र चमेला दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते हैं। निर्णय आज दि. 8.12.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रणजीत सिंह) 8.12.20	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Singh Godara
Date: 2021.01.06 13:51:11 IST
Reason: SelfAttested